

**बिहार सरकार**  
**भवन निर्माण विभाग**

का०आ०सं०-भवन-स्था० पदा०-02/2025 290 पटना, दिनांक 27/8/26/

**कार्यालय आदेश**

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभिन्न अंचलों/प्रमंडलों में कार्यरत निम्नांकित कनीय विद्युत अभियंताओं को स्तंभ-3 में अंकित कार्यालय से स्थानांतरित करते हुये कार्यरत/प्राप्त आवेदन (मात्र क्रम सं०-1) के आलोक में स्तंभ-4 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित अथवा स्तंभ-5 में अंकित कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है :-

| क्र० सं० | कनीय विद्युत अभियंता का नाम | वर्तमान पदस्थापन                               | नवपदस्थापन                                    | अतिरिक्त प्रभार                                              |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                           | 3                                              | 4                                             | 5                                                            |
| 1.       | श्री सरवर फहीम/             | विद्युत भवन प्रशाखा, विधान मंडल                | प्राक्कलक, विद्युत भवन प्रमंडल संख्या-3, पटना | -                                                            |
| 2.       | श्री अभिषेक कुमार           | विद्युत भवन प्रशाखा, अणे मार्ग                 | विद्युत भवन प्रशाखा, विधान मंडल               | -                                                            |
| 3.       | सुश्री मनीषा                | प्राक्कलक, विद्युत भवन प्रमंडल संख्या-3, पटना  | -                                             | अपने कार्यों के अतिरिक्त विद्युत भवन प्रशाखा, अणे मार्ग      |
| 4.       | सुश्री/श्रीमती मनीषा कुमारी | प्राक्कलक, विद्युत भवन अंचल, उत्तर बिहार, पटना | -                                             | अपने कार्यों के अतिरिक्त विद्युत भवन संरचना प्रशाखा संख्या-5 |

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. पूर्व से निर्गत सभी पदस्थापन/स्थानांतरण संबंधी आदेश इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

4. संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता सभी स्थानांतरित कनीय अभियंताओं (असैनिक) को आदेश निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अंदर विरमित करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उक्त के उपरांत वे स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
(शिव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- भवन- भवन-स्था० पदा०-02/2025...../पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित जिलाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
सरकार के संयुक्त सचिव।

कृ०पृ०उ०.....

ज्ञापांक- भवन- भवन-स्था० पदा०-02/2025...../पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख विद्युत-सह-मुख्य विद्युत अभियंता-01/संबंधित मुख्य अभियंता (विद्युत)/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता (विद्युत)/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सभी संबंधित कनीय विद्युत अभियंताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- भवन-स्था० पदा०-02/2025...../पटना, दिनांक:- 27/8/26

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।